न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 17/2017 ::

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :-
1. श्रीमती कमलादेवी पत्नी स्व. रूपाजी 2. स्व. बाबूलाल पुत्र स्व. रूपाजी के वारिसान 2.1 विक्रमकुमार पुत्र स्व. बाबूलाल 2.2 किशन पुत्र स्व. बाबूलाल 2.3 श्रीमती मंजूदेवी पत्नी स्व. बाबूलाल 2.4 श्रीमती पंका पुत्री स्व. बाबूलाल 2.5 श्रीमती संतोष पुत्री स्व. बाबूलाल जातिगण रावल, निवासीगण तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		1. श्रीमती दिवाली पत्नी लच्छाराम जाति रावल, निवासी रानीवाड़ा खुर्द, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर (राज.) 2. भंवरलाल पुत्र स्व. रूपाजी 3. शिवलाल पुत्र स्व. रूपाजी जातिगण रावल, निवासीगण तखतगढ़ खुर्द, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) 4. तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

अधिवक्ता अपीलाण्ट श्रीकृष्णदास जी

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट श्री लक्ष्मण चौधरी

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 28/3/19

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की अन्तर्गत धारा 75 तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ग्राम तखतगढ़ के खसरा नम्बर 47 रकबा 6.24 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम के खातेदार स्व. गोविन्दराम के फौत होने पर उसकी विधिक वारिसान पत्नी दिवाली के नाम नामान्तरकरण संख्या 2429 दिनांक 08.09.2014 पारित किया गया, उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किये गये। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश करते हुए उल्लेख किया कि गोविन्दराम की मृत्यु के उपरान्त उसके द्वारा अन्य विवाह नहीं किया गया था अर्थात दिवाली उसकी पत्नी नहीं है। दिवाली, लच्छीराम रावल निवासी रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर की पत्नी है। इस कथन की ताईद में निर्वाचक नामावली 2014 की पत्रावली संलग्न प्रति का हवाला दिया। जिसके क्रम संख्या 285 पर दिवाली पत्नी लच्छाराम दर्ज है। स्व. गोविन्दराम निःसन्तान व निर्वसीयत फौत हो चुका है। अपीलाण्ट संख्या 1 कमला जो उसकी माता है तथा अपीलाण्ट संख्या 2.1 से 2.5 गोविन्द राम के भाई बाबूलाल की सन्तान है, जो गोविन्दराम के विधिक वारिसान है। उनके नाम नामान्तरकरण इन्द्राज न कर दिवाली के नाम जैर अपील नामान्तरकरण इन्द्राज कर दिया जो, विधी विरूद्ध होने से निरस्त योग्य

जिला कलेक्टर, पाली

है। गोविन्दराम निःसन्तान होने से उसकी माता कमला अपीलाण्ट संख्या 1 प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त कर माता का नाम इन्द्राज कराने के आदेश फरमावें। जैर अपील नामान्तरकरण गोविन्दराम के विधिक वारिसानों की बिना जांच किए तथा उन्हें बिना सुनवाई का मौका दिए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 तथा राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों से मिलावट कर स्वीकृत किया गया। जिसे निरस्त फरमाया जावे। जैर अपील नामान्तरकरण बाबत अपीलाण्ट को सर्वप्रथम दिनांक 15.03.2015 को दिवाली द्वारा कृषि भूमि का उसके नाम इन्द्राज होने एवं आयन्दा भूमि बेचाण करने की ऐलानिया धमकी देने पर हुई। तब दिनांक 18.03.2015 को नकलें प्राप्त कर 13.04.2015 को अपील पेश की, जिसमें हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील का गुणावगुण पर निर्णय प्रदान करने हेतु अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 गोविन्दराम की दूसरी पत्नी थी। जो गोविन्दराम के जीतेजी व मृत्यु के पश्चात भी बतौर पत्नी उसके घर में रही। स्व. गोविन्दराम के निःसन्तान एवं निर्वसीयत फौत होने पर जैर अपील नामान्तरकरण पटवारी हल्का तखतगढ़ द्वारा 21.08.2014 को इन्द्राज किया गया। जिसके पुस्त पर उल्लेखित सजरा में पुत्र नहीं, पुत्री नहीं पत्नी दिवाली, एक मात्र वारिस दर्ज किया गया है। जिसकी ताईद स्व. गोविन्दराम के भाई शिवलाल पुत्र रूपाजी रावल रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के द्वारा की गई थी तथा दिनांक 08.09.2014 को तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया। इससे स्पष्ट है कि गोविन्दराम की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारिसान की जांच कर बाद सुनवाई के मृतक के भाई शिवलाल पुत्र रूपाजी से प्राप्त जानकारी के आधार पर पटवारी हल्का तखतगढ़ द्वारा नामान्तरकरण इन्द्राज स्वीकृत करवाया गया तथा जैर अपील भूमि स्व. गोविन्दराम की पुश्तैनी होने से उसकी माता को उसका हिस्सा पूर्व में मिल चुका है। इसलिए उसी भूमि में दूसरी बार हिस्सा पाने की अधिकारी नहीं होने से अपील खारिज फरमाई जाकर जैर अपील नामान्तरकरण यथावत रखा जावे।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं वकील अपीलाण्ट द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं मातहत अदालत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में हक अधिकरों का प्रश्न होने से गुणावगुण पर निर्णय हेतु अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपील में दर्ज अनुसार जमाबंदी संवत 2048–2051 में जैर अपील खसरा नम्बर 47 रूपा राम पुत्र हेमाराम रावल की खातेदारी दर्ज है। उसके पश्चात रूपा की मृत्यु होने पर यह आराजी रूपा के विधिक वारिसान कमुबाई बेवा रूपाराम तथा भंवरलाल, बाबूलाल, शिवराम, गोविन्दराम पिसरान रूपा के नाम जरिये नामान्तरकरण 201 दिनांक 04.12.1995 के दर्ज हुई तथा गोविन्दराम की मृत्यु के पश्चात जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1429 दिनांक 08.09.2014 के जरिये उक्त आराजी उसकी पत्नी दिवाली के नाम बाद जांच विधिक वारिसान के नाम की गई, जो उक्त नामान्तरकरण की पुस्त पर दर्ज सजरा एवं पटवारी हल्का तखतगढ़ एवं स्व. गोविन्दराम के सगे भाई शिवलाल के हस्ताक्षरों से स्पष्ट है। जिससे यह जाहिर है कि जैर अपील आराजी पुश्तैनी है तथा रूपा की मृत्यु पर्यन्त उसकी पत्नी कमूबाई को उसके हिस्से की आराजी पूर्व में बतौर विधिक वारिसान प्राप्त हो गई थी तथा गोविन्द के फौत होने पर उसकी एक मात्र वारिस पत्नी दिवाली होने से उसका नाम फौतेदगी नामान्तरकरण में बतौर वारिस दर्ज किया गया, जो न्यायोचित है। अपील के पैरा संख्या 6 पेज 3 पर गोविन्दराम की मृत्यु की पांच वर्ष पश्चात जो नामान्तरकरण सन् 2014 में दर्ज करवाया गया

जिला कलेक्टर, पाली

है, अर्थात गोविन्दराम की मृत्यु लगभग सन् 2009 में हुई। 2009 के आस–पास का अपीलाण्टगण द्वारा दिवाली के स्व. गोविन्दराम की पत्नी नहीं होने बाबत किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जो मतदाता सूची अपीलाण्टगण द्वारा पेश कर दिवाली को लच्छा राम की पत्नी होना जाहिर किया है, वह सन् 2014 की है। गोविन्दराम की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी दिवाली किसी अन्य से विवाह करने हेतु स्वतंत्र थी। इससे उसके पूर्व पति की सम्पति पर प्राप्त होने वाले हक–अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में नामान्तरकरण के पुस्त पर सजरा में गोविन्दराम के भाई शिवलाल की तस्दीक से दिवाली का गोविन्दराम की पत्नी होना साबित होने से तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण 1429 दिनांक 08.09.2014 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1429 दिनांक 08.09.2014 ग्राम तखतगढ़ पटवार हल्का तखतगढ़ बाबत खसरा नम्बर 47 रकबा 6.24 हैक्टेयर किस्म नहरी II को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/3/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली.